Engineering College Bikaner

An Autonomous Institution of Govt. of Rajasthan

Karni Industrial Area, Pugal Road, Bikaner-334004 (Raj.)

Phone: (+91)151-2253404 Fax: (+91)151-2252919

Email: principal@ecb.ac.in Web: www.ecb.ac.in

01. विज्ञापित पदों की संख्या में कमी/वृद्धि तथा भरने या रिक्त रखने का अधिकार अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर के पास सुरक्षित रहेगा ।
02. उक्त पदों हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क 1000/– (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष योग्यजन के लिए रू. 500/–) का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर के पक्ष में आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
03. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन श्रेणी के अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र 3 साल से पुराना नहीं हो) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
04. उपरोक्त पदों में विशेष योग्यजन हेतु राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के प्रावधान लागू होंगे।
05. प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन करना होगा तथा आवेदन शुल्क भी पृथक पृथक देय होगा ।
06. निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन पत्र वांछित संलग्नकों सहित महाविद्यालय में दिनांक 26/04/2018 (सायं 5 बजे) तक प्राप्त हो जाना चाहिए । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
07. अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आवेदक को अपना वेतन भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के अभाव में अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।
08. मेरिट का निर्धारण अनुभव अंक, लिखित परीक्षा और टंकण परीक्षा* में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। (* जिन पदों पर लागू हो)
09. सहायक कुल सचिव का चयन साक्षात्कार उपरान्त मैरिट का निर्धारण करते हुए किया जायेगा ।

<u>आयु सीमा :–</u>

आवेदक आवेदन की अन्तिम दिनांक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से अधिक का नहीं हुआ हो। अधिकतम आयु सीमा में राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर सोसाइटी के कार्मिकों उनके कर्यानुभव वर्षों के अनुरूप आयु में छूट देय होगी।

<u>नियुक्ति के लिये अयोग्यता –</u>

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से तभी छूट दी जा सकती है यदि इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर सोसाइटी प्रबन्धन संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले से जीवित पत्नी है,नियुक्ति के लिय पात्र नहीं माना जाएगा।किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से तभी छूट दी जा सकती है यदि इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर सोसाइटी प्रबन्धन संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
3. ऐसा अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु दो से अधिक संतान वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जाएगा जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या बढोतरी नहीं होती ।
   परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा।?
   परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो गणना नहीं की जाएगी।
4. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

<u>परीक्षा का माह एवं दिनांक</u>

परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी जाएगी जिसे इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर की वेबसाइट www.ecb.ac.in पर भी देखा जा सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर की वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में</u>

सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हो या सरकारी उपक्रमों में हो या इसी प्रकार के अन्य स्वयातशाषी संस्थानो में हो उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर अनुमति प्राप्त कर आवेदन करना चाहिये। यदि नियोक्ता द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।